न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–290/2008

CIS TS 290/2008

अवधेश राम एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

हरि यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
20.01.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–01(क) ता प्रतिवादी सं0–01(ग) की तरफ से एक आवेदन दिनांक 30.07.2025 को दाखिल किया गया, जो आज दिनांक 20.01.2026 को आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादी सं0–01(क) ता प्रतिवादी सं0–01(ग) के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि उक्त वाद में प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 की ओर से दिनांक 18.05.2010 को न्यायालय में ब्यान तहरीरी दाखिल किया गया है। उक्त वाद में प्रतिवादी सं0–01(क) ता प्रतिवादी सं0–01(ग) का प्रतिवादी सं0–01 तथा 02 द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी को ही स्वीकार करते है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–01 तथा 02 द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी को ही प्रतिवादी सं0–01(क) ता प्रतिवादी सं0–01(ग) का ब्यान तहरीरी के रूप में स्वीकार करने की कृपा की जाए। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है प्रतिवादी सं0–01(क) ता प्रतिवादी सं0–01(ग) की	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–290/2008</u>

CIS TS 290/2008

अवधेश राम एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

हरि यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 20.01.2026	ओर से एक आवेदन दिनांक 30.07.2025 को दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी सं0–01 तथा 02 द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी को ही प्रतिवादी सं0–01(क) ता प्रतिवादी सं0–01(ग) का ब्यान तहरीरी के रूप में स्वीकार करने की कृपा की जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी वाद का निष्पादन उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए, जिससे वाद का निष्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। अतः न्यायहित प्रतिवादी सं0–01(क) ता प्रतिवादी सं0–01(ग) का आवेदन दिनांक 30.07.2025 को स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक 11.03.2026 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	